134
19/6/13

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 998(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 जून, 2013

अधिसूचना संख्या–998/ XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 998/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (2) (घ) के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन–

मूल नियमावली के नियम 10 (2) (घ) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

"टिप्पणी– 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चे के शिक्षक माता या पिता मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त बच्चे की 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होगें।"

आज्ञा से

(मनीषा पंवार)
सचिव